न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः **ओमप्रकाश सहारण RAS**

न्याय निर्णयन आवेदन संख्याः–**53 / 23** (6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा)

राजस्थान सरकार जरिये विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़
प्रार्थी

बनाम

श्री अमर सिंह पुत्र फतेह सिंह राजपूरोहित जाति राजपूरोहित, हाल निवासी संदेश कॉलोनी श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ स्थाई पता गांव परालिया तहसील पंचपदरा जिला बाड़मेर फर्म भगवती मिष्ठान्न भंडार, नई धानमंडी रोड़ श्रीविजयनगर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 2.8 किलो गैस को राजसात करने बाबत्।

दिनांकः– 10-7-24

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिए श्री विजेन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी विजयनगर द्वारा अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। इस्तगासा प्रस्तुत अधिकारी (अभियोजन) में निवेदन किया है कि दिनांक 06.09.2021 की पालना में घरेलू गैस के दुरूपयोग की जांच हेतु प्रवर्तन स्टाफ **भगवती मिष्ठान्न भंडार नई धानमंडी रोड, श्रीविजयनगर** पर पहुंचे मौके पर **अमरसिंह पुत्र फतेह सिंह** राजपुरोहित जाति राजपुरोहित **हाल निवासी संदेश कॉलोनी, श्रीविजयनगर स्थाई पता गांव परालिया तहसील पंचपदरा जिला बाड़मेर** उपस्थित मिला तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया **अमर सिंह पुत्र फतेह सिंह** राजपूरोहित **जाति** राजपूरोहित, **हाल निवासी संदेश कॉलोनी श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ स्थाई पता गांव परालिया तहसील पंचपदरा जिला बाड़मेर फर्म भगवती मिष्ठान्न भंडार, नई धानमंडी रोड़ श्रीविजयनगर** जांच में पाया गया कि इस प्रतिष्ठान पर **मिठाई एवं चाय** बनाने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए **फर्म फर्म भगवती मिष्ठान्न भंडार, नई धानमंडी रोड़ श्रीविजयनगर**पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर **फर्म भगवती मिष्ठान्न भंडार, नई धानमंडी रोड़ श्रीविजयनगर** पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी/चूल्हे/बर्नर से गैस पाइप लाइन के जरिए जुड़ा पाया गया। एक घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कंपनी के पाई गई। घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा मिठाई एवं चाय बनाने का व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया गया। उक्त सिलेण्डर के संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **अमर सिंह पुत्र फतेह सिंह** राजपूरोहित **जाति** राजपूरोहित, **हाल निवासी संदेश कॉलोनी श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ स्थाई पता गांव परालिया तहसील पंचपदरा जिला बाड़मेर फर्म भगवती मिष्ठान्न भंडार, नई धानमंडी रोड़ श्रीविजयनगर** के पास नहीं मिला। **फर्म भगवती मिष्ठान्न भंडार, नई धानमंडी रोड़ श्रीविजयनगर।** में पाए गए घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर में **2.8 किलोग्राम** गैस जरिए फर्द जप्ती किया गया एवं रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश लेघा निवासी रघुनाथ[illegible]कृति लेघा भारत गैस एजेन्सी विजयनगर के सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरी[illegible] मौका[illegible] जप्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपरोक्त जांच में य[illegible] सिंह राजपूरोहित जाति राजपूरोहित, हाल निवासी [illegible] विजयनगर जिला अनूपगढ़ स्थाई पता गांव परालिया तहसील पंचपदरा जिला [illegible]मेर फर्म भगवती मिष्ठान्न भंडार, नई धानमंडी रोड़ श्रीविजयनगर द्वारा **अवैध** तरीके से घरेलू सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा है। **अमरसिंह पुत्र फतेह सिंह** राजपुरोहित **जाति** राजपुरोहित **हाल निवासी संदेश कॉलोनी, श्रीविजयनगर स्थाई पता गांव परालिया तहसील पंचपदरा जिला बाड़मेर** द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर व्यावसायिक का कृत्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.09.10 14:16:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

कर एलपीजी गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), व 7(1)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से एक घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर में **2.8 किलोग्राम** एलपीजी गैस को राजसात करने आदेश फरमावें।

प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे पर एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा दर्ज किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के भाई मक्खन सिंह उपस्थित मिला जिसने बताया मेरा भाई करीब 2 साल पहले यहां से चला गया है तथा वर्तमान में जोधपुर रहता है एक प्रति मक्खन सिंह को दी गई एवं अमरसिंह के मोबाइल नं. पर व्हॉटसप्प कॉल द्वारा सूचित किया गया। पुलिस थाना विजयनगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया।

इस्तगासे में दर्ज तथ्यों को दोहराया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करके एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीव्यूशन) ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है। अप्रार्थी बाद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आया।

फलस्वरूप अप्रार्थी से जप्तशुदा अनुदानित 1 घरेलू गैस सिलेण्डर में 2.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ को पालना भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 10-7-24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.09.10 14:16:26 IST
Reason: SelfAttested